न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी – सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस)

दायर दिनांक –16.01.2013

मुकदमा नम्बर 06 / 2013

1. विक्रम सिंह पुत्र अमर सिंह जाति राजपूत निवासी जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू

वादी

बनाम

1. शिम्भू सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह
2. श्रीपाल सिंह पुत्र नारायण सिंह
3. महावीर सिह पुत्र लखसिंह
4. विरपाल सिंह पुत्र अमर सिंह जाति राजपूत निवासी जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
5. केशर कंवर पत्नी अमर सिंह जाति राजपूत निवासी जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू

5/1 किरण कंवर पुत्री अमर सिंह पत्नि उम्मेद सिंह जाति राजपूत निवासी पालोट तहसील डीडवाना जिला नागौर

प्रतिवादीगण

वकील वादी : – **श्री विजेन्द्र सिंह दूत**
वकील प्रति. :– **श्री विनोद सिंह शेखावत**

<u>दावा बाबत– बेदखली व</u>
<u>स्थाई निषेधाज्ञा।</u>

–:: <u>निर्णय</u> ::–

दिनांक : 07.11.2025

वाद–पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– राजस्व ग्राम जाखल की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 395 की भूमि ख0 नं0 109 रकबा 0.06 है0, ख0 नं0 110 रकबा 0.04 है0, ख0 नं0 111 रकबा 2.82 है0, ख0 नं0 112 रकबा 0.23 है0 कुल रकबा 3.15 है0 स्थित है। जो वादी व प्रतिवादीगण सं0 4 व 5 की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की पैत्रिक भूमि है। जिसके सम्बन्ध में वादी उक्त वाद पेश कर रहा है इसलिए आगे वाद में विवादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वाद–पत्र की धारा 1 में वर्णित विवादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं0 4 व 5 ने पुख्ता मकानात बनाकर काबिज व आबाद हैं जिसके ख० नं० 110 रकबा 0.04 है० है। तथा विवादग्रस्त भूमि की सिंचाई करने के लिए वादी व प्रतिवादीगण ने एक शामलाती चाह बनाकर विद्युत सम्बन्ध लगा रखा है। जिससे पानी लेकर उपयोग उपभोग करते हैं। शामलाती चाह मय विद्युत सम्बन्ध ख० नं0 109 रकबा 0.06 है० है तथा ख० नं0 112 रकबा 0.23 है0 गै० मु० बाड़ा है जिसमें भी वादी व प्रतिवादीगण सं० 4 व 5 के पुख्ता मकानात बने हुए हैं। उक्त तमाम विवादग्रस्त भूमि व उसमें स्थित मकानात व चाह मय विद्युत पम्पिंग सैट वादी व प्रतिवादीगण सं0 4 व 5 के स्वामित्व व हक अधिकार की पैत्रिक सम्पति है। जिसको वादी व प्रतिवादीगण सं० 4 व 5 काश्त करते हैं एवं उपयोग–उपभोग करते हैं जिसमें प्रतिवादीगण सं० 1 लं० 3 का कोई लेना देना व सम्बन्ध नहीं है लेकिन प्रतिवादीगण सं० 1 लं० 3 वादी व प्रतिवादीगण सं0 4 व 5 के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा पैदा कर रहे है इसलिए वादी श्री [illegible] की सेवामें उक्त वाद अपने हक अधिकार की रक्षा के लिए प्रस्तुत कर रहा है तथा कथित प्रतिवादीगण सं० 4 व 5 स्वर्गीय अमर सिंह के वारीसान हैं। लेकिन प्रतिवादी [illegible] अनुकूल चलाता है और प्रतिवादी सं० 5 काफी वृद्ध होने से चलने फिरने में असमर्थ है। इस कारण उनकी प्रफोर्मा डिफेंडेन्ट बनाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:32:17 IST
Reason: SelfAttested

विवादग्रस्त भूमि नं 112 रकबा 0.23 है० गैर0 मु0 बाड़ा है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण 04 व 05 के पुराने मकानात बने हुए हैं जिसमें वादी व प्रतिवादीगण सं० 4 व 5 स्व० अमर सिंह के

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ

जीवनकाल से ही काबिज व आबाद रहे हैं तथा उसके बाद में वादी व प्रतिवादीगण सं० 4 व 5 ने ख० नं० 110 रकबा 0.04 है० में भी मकानात बनाकर काबिज व आबाद हो गये हैं लेकिन प्रतिवादीगण सं० 1 ल० 3 ने आपस में मिलकर कानून को हाथ में लेकर आज से करीब ढ़ाई तीन महीने पहले विवादग्रस्त भूमि ख० नं० 112 में नाजायज कब्जा करने की बदनियति से निर्माण कार्य करना चालू कर दिया तब वादी ने कई ग्राम के मौतविर व्यक्तियों ने इनको समझाया था। तब प्रतिवादीगण सं० ल० 3 एक बार तो मान गये परन्तु अब 20–25 दिन पहले प्रतिवादीगण ने जबरन लठ के बल पर पुनः वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख० नं0 112 में अवैध रूपसे निर्माण सामग्री डलवाना चालू कर दिया है। तब वादी ने प्रतिवादीगण सं० 1 ल० 3 27/12/2012 को मना किया तो उन्होने दिनांक को एलानिया धमकी दी है ।तउल कि हम जलदी ही कारीगर व मजदुर लगाकर पुख्ता निर्माण कार्य करके कब्जा करेगें और प्रतिवादीगण सं० 1 ल० 3 ने भूमि ख० नं0 112 रकबा 0.23 है० पर गलत तरीके से निर्माण कार्य कारीगर व मजदुरी लगाकर रात दिन लगातार कर रहे हैं और वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि के कुछ भाग पर नाजायज कब्जा किया है जो भूमि वाद–पत्र के साथ नक्शे में लाल रंग से दिखाई गई है। तथा नक्शा वाद–पत्र का भाग रहेगा। प्रतिवादीगण सं० 1 ल० 3 ने लाल रंग से प्रदर्शित करीब 1494 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया है जो काबिले बेदखली है। इसलिए विवादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण सं० 1 ल० 3 का नाजायज कब्जा हटाया जाकर बेदखल किया जावे और विवाग्रस्त भूमि का भौतिक रूप से कब्जा वादी को सम्भलाया जावे। इसलिए वादी श्रीमानजी के समक्ष उक्त वाद बेदखली का पेश कर रहा है।

विवादग्रस्त भूमि वादी के हक अधिकार व स्वामित्व की पैत्रिक भूमि है। जिसमें अनाज पैदा करके वादी अपनी आजिविका चलाता है और पुख्ता मकानात बनाकर काबिज व आबाद है। विवादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण सं० 1 ल० 3 का किसी भी प्रकार से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन प्रतिवादीगण स० 1 ल० 3 वादी की शराफत का फायदा उठाकर विवादग्रस्त भूमि पर रास्ते के पास के लाल रंग से प्रदर्शित स्थान पर नाजायज तरीके से कब्जा कर रखा है और अपना पुख्ता कब्जा साबित करने के लिए निर्माण कार्य जोरों पर चला रखा है जिससे वादी को अपने हक अधिकारो की कृषि भूमि व पुराने मकानो से वंचित होना पड़ेगा तथा प्रतिवादीगण सं० 1 ल० 3 ने विवादग्रस्त भूमि से पेड़ पौधे काटकर एवं खुदाई करके भूमि को वेस्ट व डेमेज करने में लगे हुए हैं और वादी के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में बाधा पैदा कर रहे हैं इसलिए प्रतिवादीगण सं० 1 ल० 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना निहायत जरूरी है।

प्रतिवादीगण सं० 1 ल० 3 अपनी विधि विरुद्ध कार्यवाही में सफल हो गये तो वादी को अपने हक अधिकार व कब्जे काश्त की भूमि से वंचित होना पड़ेगा और बादी को अनावश्यक मुकदमें बाजी में फसना पड़ेगा जिससे समय व धन की बर्बादी होगी और अपार क्षति होगी। जिसका खामियाजा भुगतना किसी भी हालत में सम्भव नहीं होगा। विवादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की पैत्रिक भूमि है। इसलिए वादी का प्रथम दृष्टया मामला है और सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में ही ज्यादा है।

उक्त वाद के लिए वादाधिकार प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर गलत तरीके से निर्माण सामग्री डालने के रोज 27/12/2012 दिनांक 2002 को निर्माण कार्य करके कब्जा करने की धमकी देने के रोज एवं विवादग्रस्त ख० नं0 112 भूमि पर जबरन लठ के बल पर कब्जा करने के रोज अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ है।यह कि वाद बहक वादी व प्रतिवादीगण सं० 4 व 5 खिलाफ प्रतिवादीगण सं० 1 ल० 3 के डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण सं० 1 ल० 03 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि विवादग्रस्त भूमि ख० नं० 109 रकबा 0.06 है०, ख० नं० 110 रकबा 0.04 है०, ख० नं० 111 रकबा 2.82 है०, ख० नं० 112 रकबा 0.23 है० कुल रकबा 3.15 है0 के कब्जे काश्त व उपयोग, उपभोग में वादी को कोई अवरोध पैदा नहीं करे और ना ही विवादग्रस्त भूमि से मिट्टी खुदाई करके व पेड़ पौधे काटकर वेस्ट व डेमेज करे तथा विवादग्रस्त भूमि में कोई निर्माण कार्य करके और ना ही कोई निर्माण सामग्री डलवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:32:17 IST
Reason: SelfAttested

विवादग्रस्त भूमि ख० नं0 112 रकबा 0.23 है० में प्रदर्शित लाल रंग की 1494 वर्ग मीटर भूमि से प्रतिवादीगण सं० 1 ल० 3 का नाजायज कब्जा हटाया जाकर बेदखल किया जावे और उक्त विवादग्रस्त भूमि का कब्जा वादी को सम्भलाया जावे तथा विवादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण से गलत

ए.सी.जे.एम. (फा.ट्रै.)
नवलगढ़

तरीके से करवाये गये निर्माण कार्य को उनके खर्चे से तुड़वाया जाकर भूमि को साफ व दुरूस्त करवाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 की ओर से जवाब दावा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– वाद–पत्र में वर्णित कथनो मे भूमि खसरा नम्बर 109 लगायत 112 ग्राम जाखल की सरहद मे स्थित होना स्वीकार है तथा इस मद में दर्ज आगे कथन कि जो वादी व प्रतिवादीगण नं0 4 लगायत 5 की शामलाती है, यह कथन पूर्ण रूप से गलत होने से अस्वीकार है। विस्तृत जवाब अतिरिक्त उत्तर मे दिया गया है।

मद संख्या 2 वाद–पत्र मे वर्णित कथन जिस प्रकार से दर्ज किये गये है, गलत होने के कारण अस्वीकार है।

मद संख्या 3 वाद–पत्र मे वर्णित कथन जिस प्रकार से दर्ज किये गये है, गलत होने से अस्वीकार है।

मद संख्या 4 वाद–पत्र मे वर्णित कथन जिस प्रकार से दर्ज किये गये है, गलत होने से अस्वीकार है।

मद संख्या 5 वाद–पत्र मे वर्णित कथन जिस प्रकार से दर्ज किये गये है, गलत होने से अस्वीकार है।

मद संख्या 6 वाद–पत्र मे वर्णित कथन जिस प्रकार से दर्ज किये गये है, गलत होने से अस्वीकार है। वादी ने दिनांक 27.12.12 के दिन वादकारण पैदा होने के कारण, की कहानी झूठी व मनगढन्त बनाई है।

मद संख्या 10 क, ख, ग, घ वाद–पत्र मे चाहे अनुसार वादी किसी भी प्रकार का अनुतोष माननीय न्यायालय से कानूनी रूप से प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

अतिरिक्त उत्तर

वाद–पत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित खसरा नम्बर की भूमि ग्राम जाखल की आबादी के सटकर एवं आबादी के अन्दर ही है, जिसमे सैकड़ो वर्षों पहले से ही प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के भाई बन्धुओ के परिवारो की रिहायशी गुवाड़िया, मकानात बने हुये है, जिसमे वे सभी अपने परिवार सहित शांतिपूर्वक आबाद है तथा ज्यादातर सभी लोगो ने अपने–अपने घरो में पानी व विद्युत कनेक्शन से रखे है।

वादी ने अपने वाद–पत्र में सही तथ्यों को छुपाते हुये अपना वाद–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी, प्रतिवादी नं० 1 लगायत 3 शम्भूसिंह के पिता, दादा एवं पड़दाता, श्री नन्दसिंह का जन्म जिस जमीन को वादी ने वाद–पत्र मे अपनी होना बताया है, उसमे बनी हुई गुवाड़ी मकानात में ही हुआ है। इस प्रकार प्रतिवादी नं० 2 एवं 3 की गुवाड़ियां भी सैंकड़ो वर्षो से भी पुरानी है, जो ग्राम जाखल बसा तभी से है, पहले पुराना निर्माण था, जो आज भी है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर जो पुराना निर्माण गिरने की स्थिति में आ गया तो उसके स्थान पर नया निर्माण प्रार्थीगण ने करवा लिया है। प्रतिवादीगण नं० 1 लगायत 3 तीनो के घरो की स्थिति एक जैसी है, जिनकी गुवाड़िया ग्राम जाखल बसा तभी से विवादित भूमि मे बनी हुई है, पहले जागीर के समय इन गुवाड़ियो को रावला व कोटड़ी के नाम से जाना जाता था।

प्रार्थीगण के मकानो के अलावा उनके भाई बन्धो के परिवार के मकान भी इस जमीन मे बने हुये है, वादी, प्रार्थीगण से ऊंची कीमत लेना चाहता है, इसी कारण वादी ने सही तथ्य अपनेबाद में अंकित नही किये है। वादी इस दावे की आड़ मे प्रतिवादीगण को नाजायज रूप से परेशान करके उनसे रुपया हड़पना चाहता है।

प्रतिवादीगण नं० 01 लगा[illegible] से भी पहले का कब्जा होने के कारण से वादी का वाद मियाद बाहर होने के [illegible] होने लायक है।

विवादित भूमि पुराने खस[illegible] 213 [illegible] नम्बर 112 है, यह भूमि गत सैटलमेंट के समय तक गैर मुन[illegible] के रूप में [illegible] गत सैटलमेंट के बाद मे सम्वत 2043 में बनी आधार वर्ष[illegible] नम्बर 112 को गैर कानूनी रूप से गैर मुनकिन बाड़ा के रूप मे दर्ज किया है, जो गलत किया [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:32:17 IST
Reason: SelfAttested

वादी एवं प्रतिवादीगण के कामन पूर्वज श्री उन्नेसिंहजी था, जिनके चार पुत्र क्रमशः स्व० श्री माधोसिंह, रामसिंह, नन्दसिंह एवं दुर्जनसिंह थे, जो सभी खत्म हो गये है, उन्हीं चारो के वारिसान इस वाद–पत्र की विषयवस्तु विवादित जमीन में रहते मे बाद में जैसे जैसे जमीन की कमी

ए.सी.जे.एम. (पा.कु.) नवलगढ

पड़ी तो कई लोग बहा अपने–अपने खेतो मे चले गये, लेकिन इन सभी का विवादितभूमि मे हक हिस्सा है तथा विवादित भूमि का एक मात्र खसरा नम्बर पुराना 213 आबादी की जमीन है, जिसमे सम्पूर्ण में आबादी बसी हुई है, जिस कारण रेवेन्यू न्यायालय को यह दावा सुनने का अधिकार नहीं है। वादी का वाद–पत्र पूर्ण रूप से झूठे तथ्यों पर होने से खारीज होने लायक है।

अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के अधिकारो को सुरक्षित करते हुये वादी का वाद मय हर्जा खर्चा से खारीज फरमाया जावे।

प्रकरण में जवाब देही प्रस्तुत होने पर प्रकरण में निम्न प्रकार से तनकीयात कामय की गई :–

1. **तनकी नम्बर 01** :– आया ग्राम जाखल कि भूमि ख0 नं0 109/0.06, 110/0.04, 111/2.82, 112/0.23 कुल किता 4 कुल रकबा 3.15 है0 के वादी व प्रतिवादीगण नं0 4 व 5 की शामलाती खातेदारी की है।

भा.स.वादी

2. **तनकी नम्बर 02** :– आया प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि भूमि ख0 नं0 109/0.06, 110/0.04, 111/2.82, 112/0.23, कुल किता 4 रकबा 3.15 है0 के कब्जे काश्त का उपयोग उपभोग में वादी को कोई अवरोध पैदा नही करे ना ही वादग्रस्त भूमि से मिटी खुदाई करके व पेड़ पौधे काटकर वेस्ट व डेमेज न करें तथा न कोई निर्माण सामग्री डालकर निर्माण करें।

भा.स.प्रतिवादीगण

3. **तनकी नम्बर 03** :– आया विवादग्रस्त भूमि ख0 नं0 112/0.23 है0 में 1494 वर्गमीटर भूमि से प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 3 का नाजायज कब्जा हटाया जाकर बेदखल किया जावे।

भा0स0 वादी

4. **तनकी नम्बर 04** :– आया प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 का विवादित भूमि पर सैकड़ों वर्षो से पहले का कब्जा होने के कारण से वादी का वाद मियाद बाहर होने से खारीज होने योग्य है।

भा0 स0 प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 03

5. **तनकी नम्बर 05** :– आया विवादित भूमि पुराने खसरा नम्बर 213 जिसके नये खसरा नम्बर 112 है भूमिगत सैटलमेंट के समय तक गैर0 मु0 आबादी के रूप में दर्ज रही है। सम्वत् 2043 में बनी आधार वर्ष जमाबंदी में यह भूमि खसरा नम्बर 112 को गैर0 मु0 बाड़ा के रूप में दर्ज किया गया है संपूर्ण खसरा नम्बर 213 में आबादी बसी होने के कारण रैवन्यू न्यायालय को यह दावा सुनने का अधिकार नही है।

भा0 स0 प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 03

6. दादरशीः–

वादी द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 की ओर से वकील श्री विनोद सिंह शेखावत ने वकालतनामा पेश किया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 की ओर से जबाब पेश होने पर तनकीयात कायम की गई। तदपश्चात शहादत वादी ली गई। शहादत वादी में वादी विक्रम सिंह, लादूसिंह, गजेन्द्र सिंह, भवानी सिंह ने उपस्थित हो अपनी मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये। प्रतिवादीगण की ओर से शहादत प्रतिवादी में शिम्भूसिंह, राजेन्द्र सिंह के चीफ के शपथ पत्र पेश किये।

वादी ने अपने वाद के समर्थन में नकल सत्यप्रतिलिपि [illegible] सम्वत् 2067–2070 प्रदर्श 2 नकल नक्शा ट्रैस तथा वकील प्रतिवादीगण की ओर से प्रदर्श [illegible] बंदोबस्त प्रदर्श डी 2 सत्य प्रतिलिपि मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श डी 3 सत्यप्रतिलिपि नक्शा [illegible] प्रदर्श डी 4 असल बही नक्शा प्रदर्श डी 5 असल ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात पेश किये।

शहादत प्रस्तुत होने पर बहस अंतिम वकील उभय पक्ष [illegible] सुनी गई। बहस का मनन किया तथा पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व बहस पर मनन करते हुये निर्णय तनकीवार निम्नानुसार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:32:17 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रै.)
नवलगढ

तनकी नम्बर 01, 02, 03, 04, 05 :– उक्त तनकियां एक दुसरे से सम्बन्धित है इसलिए उपरोक्त तनकियों का एक साथ विवेचना कि जा रही है। तनकी नं0 1 लगायत 3 को साबित करने का भार वादी पर है पर है तथा तनकी नं0 4 व 5 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। यहां यह उल्लेखनीय है कि ग्राम जाखल कि भूमि ख0 नं0 109/0.06, 110/0.04, 111/2.82, 112/0.23 कुल किता 4 कुल रकबा 3.15 है0 भूमि को वेस्ट व डेमेज नही करने हेतु प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को पाबंद किया जावे तथा उक्त भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को बेदखल किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व साक्ष्यों से स्पष्ट है कि उक्त भूमि पूर्व में शामलाती खातेदारी की रही है। जिसपर वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वजों का कब्जा काश्त था तथा वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वजों द्वारा उक्त भूमि में मकानात् बनाकर कई पिढियों से रह रहे है तथा विधुत व पानी कनेक्शन आदि लगाकर आबाद है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2017 से 2032 तक उक्त भूमि की किस्म गैर0 मु0 आबादी दर्ज थी जिसे बिना किसी सक्षम आदेश के भूमि की किस्म गैर मु0 बाड़ा दर्ज कर दी। वर्तमान जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि कि किस्म गैर0 मु0 बाड़ा दर्ज है जिससे प्रमाणित है कि मौजूदा वाद मे वर्णित विवादित भूमि कि किस्म गैर0 मु0 आबादी व गैर मु0 बाड़ा रही है। इस न्यायालय को केवल कृषि भूमियों के बाबत ही सुनवाई का क्षैत्राधिकार है। गैर0 मु0 आबादी व गैर0 मु0 बाड़ा कृषि भूमि की क्षैणी में न आकर आवासीय भूमि की श्रेणी में आता है। जिसके बाबत सुनवाई का क्षैत्राधिकार इस न्यायालय को नही होने से वाद वादी पोषणीय नही है इसलिए वाद वादी खारिज किया जाता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार तनकी सं0 1 लगायत 3 वादी असफल तथा तनकी सं0 4 व 5 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्धारित की जाती है।

–:: आदेश ::–

अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 07.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:32:17 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : बेदखल व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं0:– 06/2013 **(विक्रम सिंह बनाम शिम्भू सिंह आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 07.11.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 07.11.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

.मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
.स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:32:17 IST
Reason: SelfAttested